न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 205/2008 पुराना व नया 05/2023

दायर तारीख :– 25.07.2008

1. सुरज्ञान
2. जगदीश
3. भागीरथ पित्रान् रामबक्स जाति अहीर निवासी खेडीमिल्क तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. हरिराम पुत्र रामबक्स जाति अहीर निवासी खेडीमिल्क तहसील फुलेरा
2. लाडा पत्नी श्योकरण अहीर निवसी धोल्या का बास बाघावास तहसील फुलेरा
3. प्रभाती पत्नी गंगाराम अहीर निवासी खीरया तहसील आमेर
4. सोहनी पत्नी सुन्दरलाल अहीर निवासी खीरया तहसील आमेर
5. सब रजिस्ट्रार किशनगढ रेनवाल।
6. रूडमल पुत्र नूंदाराम जाति अहीर निवासी रघुनाथपुरा तह0 आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत इस्तकरार हक, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :– श्री लोकश शर्मा अधिवक्ता वादी
श्री वीरेन्द्र शेखावत अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 व 6
श्री लक्ष्मीकांत अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 2, 3 व 4
श्री रामसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 6

निर्णय

निर्णय दिनांक 17.10.2025

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजीयात् ख0न0 88 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा चाही दोयम बारानी, 89 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा चाही दोयम, 90 रकबा 10 बीघा चाही दोयम, 91 रकबा 5 बिस्वा गै0मु0 चाह, 92 रकबा 7 बिस्वा चाही दोयम, 93 रकबा 13 बिस्वा चाही दोयम, 94 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा बारानी अव्वल, 95/1 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा बारानी दोयम, 95/2 रकबा 3 बीघा बारानी दोयम, 109/2 रकबा 1 बिस्वा गै0मु0 चाह, 111 रकबा 7 बीघा बारानी दोयम, 112 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा बारानी दोयम, 114 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, 115 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा बारानी दोयम, 116 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा बारानी दोयम, 206 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा चाही अव्वल, 207 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा चाही अव्वल कुल किता 18 कुल रकबा 100 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम खेडीमिल्क पटवार हल्का खेडीमिल्क तहसील फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता रामबक्स का 1/5 हिस्सा था। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता रामबक्स का अर्सा 15

उपखण्ड अधिकारी

साल पूर्व स्वर्गवास हो जाने के बाद प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 ने वादीगण को अपना 3/35 हिस्सा त्याग कर दिया था एवं प्रतिवादी सं0 1 हरिराम अविवाहित होने के कारण उसको प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 ने हिस्सा त्याग नहीं किया तथा उसके गुजर बसर हेतु उसके हिस्से में आई 1/35वां हिस्से पर काबिज हो गया, तभी से वादीगण प्रत्येक 2/35, 2/35, 2/35 हिस्से पर एवं प्रतिवादी सं0 1/35 हिस्से पर काबिज है एवं खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात अविभाजित आराजीयात है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता रामबक्स का अर्सा 15 साल पूर्व स्वर्गवास हो जाने के बाद प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 अपना हिस्सा अपने भाई वादीगण को 1/35, 1/35, 1/35 त्याग देने के बाद प्रतिवादी सं0 1 के नियत में पितुर उत्पन्न हो गया और वह बाला बाला पटवारी हल्का आदि से साज कर मृतक रामबक्स के 1/5 हिस्से कि आराजीयात का वादीगण एवं स्वयं प्रतिवादी सं0 1 अपने नाम नामान्तरकरण खातेदारी खुलवा ली एवं पंजाब नेशनल बैंक शाखा करणसर से 1/20 हिस्से पर ऋण प्राप्त कर लिया एवं आराजीयात को गिरवी रख दी। जबकि उक्त आराजीयात में प्रतिवादी सं0 1 का केवल मात्र 1/35 वां हिस्सा ही है एवं 1/35 हिस्से पर ही काबिज काश्त है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 चूंकि संयुक्त परिवार के सदस्य है एवं आपस में सगे भाई होने के कारण पारस्परिक सहमति से आराजी काश्त करते आ रहे है और प्रत्येक इंच पर वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 का हित निहित है और आपसी सहमति अनुसार पैदावार लेते आ रहे है और सहमति अनुसार मनचाही काश्त करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 को किसी दीगर परिवार के व्यक्ति स्ट्रेन्जेर परसन को आराजी बिना तकासमा विक्रय या हस्तान्तरण करने का कानूनन अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 हरिराम की कुछ समय से नियत में फितूर उत्पन्न हो गया और वह वादीगण की उसके हिस्से से महरूम रखना चाहता है, और अविभाजित आराजीयात का चालाकी से 1/20 हिस्से का नामान्तरकरण खुलवाकर अमल दरामद करा लिया है तथा आराजी को अन्य व्यक्ति को बेचने पर उतारू है। प्रतिवादी संख्या 01 को बिना तकासमा कराये संयुक्त खातेदारी की आराजी को बेचने का कानूनन अधिकार नहीं है। दिनांक 11.11.2004 को प्रतिवादी सं0 1 विवादग्रस्त आराजी पर अपने साथ दो तीन व्यक्तियों को लेकर आये ओर अपने नाम करायी गई आराजीयात को बेचने का सौदा करने लगे व वादीगण के हिस्से को भी अपना बताने लगे। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 बिना तकासमा कराये दीगर व्यक्ति को आराजी बेचान करने पर उतारू है जिसे कानूनन रोका जाना व वादीगण के हिस्से कि घोषणा किया जाना आवश्यक है, अन्यथा वादीगण को नुकसान नाकाबिल तलाफी होगा। अतः वादीगण को

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक को 2/35, 2/35 व 2/35 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाए।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। रूडमल पुत्र नूंदाराम ने प्रा0पत्र आर्डर 1 रूल 10 जा0दी0 का पेश किया उक्त प्रा0पत्र स्वीकार होने पर प्रतिवादी सं0 6 के रूप में रूडमल पुत्र नूंदाराम को पक्षकार कायम किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 6 की ओर से वकील श्री वीरेन्द्र शेखावत जरिये वकालतनामा उपस्थित आये तथा जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 6 ने अपने जवाब वाद पत्र के तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना 1/20 हिस्सा दिनांक 18.11.2004 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र प्रतिवादी सं0 6 को बिल ऐवज 2,71,000 रूपये मे बेचान कर कब्जा सम्भला दिया जिसके आधार पर नामान्तकरण सं0 456 दिनांक 20.11.2004 को खुलकर अमल दरामद हो चुका है। प्रतिवादी सं0 6 का बतौर खातेदार 1/20 हिस्सा पर काबिज काश्त चला आ रहा है। वादीगण का केवल 3/20 हिस्सा पर कब्जा है। वादीगण ने महज प्रतिवादी सं0 1 को हैरान परेशान व खर्च जेरबार करने व उसकी आराजी हडपने की गरज से यह वाद पेश किया है जो हरजा खरचा खारिज किये जाने योग्य है।

3. प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से वकील श्री लक्ष्मीकांत ने जरिये वकालतनामा उपस्थित आये व जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 ने अपने जबाब मे वाद पत्र के तथ्यो को स्वीकार करते हुये अतिरिक्त कथन मे बताया की मुताबिक वाद वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे तो प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 को कोई किसी प्रकार कि आपत्ति एवं ऐतराज नही है।

4. प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गईः—

   1. आया विवादग्रस्त आराजी वर्णित वाद पत्र के पैरा नंबर 2 में वादीगण प्रत्येक का 2/35 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1/35 वां हिस्सा है एवं काबिज है व इसी अनुसार खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है।

      वादीगण

   2. आया वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

      वादीगण

   3. आया विवादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं0 1 का 1/20 वां हिस्सा है जो उसने प्रतिवादी संख्या 6 को बेचान कर कब्जा संभला दिया और खातेदार काश्तकार है।

      प्रतिवादी

5. तनकीयात ऐक्सप्लेन (Explain) की गई।

6. वादी पक्ष की ओर से साक्ष्य गवाह में वादी संख्या 01 सुरज्ञान, सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल, गोपाललाल पुत्र हनुमान, गोविन्दराम पुत्र नारायण, धन्नाराम पुत्र नारायण, गणेश पुत्र हनुमान, लाडा पत्नी श्योकरण, प्रभाती पत्नी गंगाराम, सोहन पत्नी सुंदरलाल तथा वादी संख्या 03 भागीरथ के सशपथ बयान लेखबद्ध करवाए गए तथा अपने वादपत्र को साबित करने के लिए प्रदर्श–01 जमाबंदी संवत 2057–60, प्रदर्श–02 निर्णय अरथाई निषेधाज्ञा की प्रति, प्रदर्श–03 निर्णय अपील नामांतकरण, प्रदर्श–04 निर्णय अपील नामांतकरण, प्रदर्श–05 निर्णय राजस्व अपील अधिकारी प्रदर्शित करवाए गए।

7. प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य गवाहान में हरिराम पुत्र रामबक्स, गोपाल पुत्र सोहनलाल, गणपत पुत्र कल्याण, रूडमल पुत्र नंदाराम के सशपथ बयान लेखबद्ध करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–01 व 02 निगरानी राजस्व मंडल, प्रदर्श–03 नामांतकरण नकल प्रति, प्रदर्श–04 बेचान पत्र प्रति, प्रदर्श–05 जमाबंदी संवत 2069–72 प्रदर्शित करवाए गए।

8. बहस उभय पक्ष सुनी गयी। वकील वादीगण ने अपनी बहस में अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95/1, 95/2, 109/1, 109/2, 111, 112, 114, 155, 116, 206, 207 कुल किता 18 कुल रकबा 100 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम खेडीमिल्क तहसील फुलेरा (हाल तहसील कि0 रेनवाल) में स्थित है। जिसमें हम वादीग एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 के पिता रामबक्स का 1/5 हिस्सा था। हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता रामबक्श का अर्सा 15 साल पूर्व स्वर्गवास हो जाने के बार प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 ने हम वादीगण व 3/35 वां हिस्सा त्याग कर दिया था एवं प्रतिवादी सं0 1 हरिराम अविवाहि होने के कारण उसको प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 ने हिस्सा त्याग नहीं कि तथा उसके गुजर बसर हेतु उसके हिस्से में आई 1/35 वा हिस्से पर काबि हो गया तभी से वादीगण 2/35, 2/35, 2/35 हिस्से पर एवं प्रतिवादी 1/35 वा हिस्से पर काबिज है एवं खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी अविभाजित है। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 ने अपना हिस्सा अपने वादीगण को 1/35, 1/35, 1/35 त्याग देने के बाद प्रतिवादी संख्या नियत में पितुर उत्पन्न हो गया और वो बालाबाला पटवारी हल्का आ साज कर मृतक रामबक्स के 1/5 हिस्से कि आराजीयात का वादीगण स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 अपने नामान्तरकरण खातेदारी खुलवा लिया एवं नेशनल बैंक शाखा करणसर से 1/20 हिस्से पर ऋण प्राप्त कर लि उक्त आराजीयात् गिरवी रख दी। जबकि उक्त आराजी में प्रतिवादी सं0

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

केवल मात्र 1/35 वां ही हिस्सा है एवं 1/35 हिस्से की भूमि पर भी वादीगण ही काबिज काश्त है एवं वर्तमान में सम्पूर्ण 1/5 हिस्से को हम वादीगण ही काश्त कर रहे है। प्रतिवादी सं0 1 कि नियत मे फितुर उत्पन्न हो गया और वह बालाबाला बिना हम वादीगण कि जानकारी के उक्त आराजीयात को बैंक से रहनमुक्त कराकर प्रतिवादी सं0 6 रूडमल पुत्र नूंदाराम अहीर निवासी रघुनाथपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर के नाम से विक्रय विलेख उपपंजीयक अधिकारी के यहां तस्दीक करवा दिया जबकि मौके पर आज भी सम्पूर्ण उक्त आराजीयात के 1/5 हिस्से पर हम वादीगण ही काबिज काश्त है एवं प्रतिवादी सं0 1 ने कभी कोई काश्त की है। अतः न्यायहित में हम वादीगण को उक्त सम्पूर्ण आराजीयात में 2/35, 2/35, 2/35 का एवं प्रतिवादी सं. 1 को 1/35 वां हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अपनी बहस के समर्थन में 2006(2) आर.आर.टी. 1364, 2008(1) आर.आर.टी. 135 न्यायिक दृष्टांत पेश किए।

9. वकील प्रतिवादी सं0 1 व 6 ने अपनी बहस मे अपने जबाब के तथ्यो को दोहराते हुये बताया की प्रतिवादी सं0 1 ने अपना 1/20 हिस्सा दिनांक 18.11.2004 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र प्रतिवादी सं0 6 को बिल ऐवज 2,71,000 रूप्ये मे बेचान कर कब्जा सम्भला दिया जिसके आधार पर नामान्तकरण सं0 456 दिनांक 20.11.2004 को खुलकर अमल दरामद हो चुका है। प्रतिवादी सं0 6 काबिज काश्त चला आ रहा है। वादीगण का केवल 3/20 हिस्सा पर कब्जा है। वादीगण ने महज प्रतिवादी सं0 1 को हैरान परेशान व खर्च जेरबार करने व उसकी आराजी हडपने की गरज से यह वाद पेश किया है जो हरजा खरचा खारिज किये जाने योग्य है।

10. वकील प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 ने अपनी बहस मे अपने जबाब के तथ्यो को दोहराते हुये वादीगण का वाद मुताबिक अनुतोष वाद पत्र डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

11. प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्नानुसार हैः–

तनकी संख्या 01 आया विवादग्रस्त आराजी वर्णित वाद पत्र के पैरा नंबर 2 में वादीगण प्रत्येक का 2/35 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1/35 वां हिस्सा है एवं काबिज है व इसी अनुसार खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी हैः– तनकी सं0 1 को सिद्व करने का भार वादीगण को दिया गया। मुताबिक प्रदर्श–01 जमाबंदी संवत 2057–60 वाके ग्राम खेडीमिल्क उक्त वादग्रस्त आराजी सुरज्ञान, जगदीश, हरिराम, भागीरथ पि0 रामबक्स 1/5 कौम अहीर सा0 देह दर्ज है। वादीगण द्वारा रामबक्स के फौत होने पर समस्त बहनों द्वारा वादीगण के पक्ष में हकत्याग करने का कथन किया गया है। वादीगण द्वारा समस्त बहनों के उनके

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

पक्ष में हकत्याग से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं किया गया और न ही विरासत के नामांतकरण की प्रति प्रस्तुत की गई है। वादीगण की बहनों श्रीमती लाडा देवी, प्रभाती देवी, सोहनी देवी से प्रतिवादी वकील द्वारा जिरह की गई। दौराने जिरह तीनों गवाहान द्वारा स्वीकार किया गया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में उनके द्वारा कोई हकत्याग नहीं किया गया। तीनों गवाहान द्वारा दौराने जिरह स्वीकार किया गया कि रामबक्स की मृत्यु के पश्चात चारों भाई 1/20 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे थे तथा चारों भाइयों के नाम उक्त हिस्सा दर्ज होने पर तीनों बहनों को कोई आपत्ति नहीं थी। वादी संख्या–03 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया गया है कि पिता रामबक्स की मृत्यु के पश्चात चारों भाइयों के नाम से बराबर हिस्से का नामांतकरण खोला गया तथा हमारी बहनों ने फौती नामांतकरण के समय कोई हिस्सा नहीं मांगा एवं ना ही कोई आपत्ति प्रकट की। हमारी बहनों द्वारा आज तक हमारे पक्ष में कोई हकत्याग नहीं किया है। वादीगण द्वारा भूमि का विरासत नामांतकरण खुलने के पश्चात हिस्से को लेकर काफी समय व्यतीत होने पर भी कोई दावा/अपील इस दावे से पूर्व प्रस्तुत नहीं किया है।

उपर्युक्त विवेचन से वादीगण यह तथ्य साबित करने में असफल रहे है कि फौती नामांतकरण खुलते समय बहनों द्वारा वादीगण के पक्ष में हकत्याग किया गया। वादीगण का दावा ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों का भी मोहताज है केवल मौखिक कथनों के आधार पर राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं वादी से की गई प्रतिपरीक्षा से साबित करवाया गया है कि फौती नामांतकरण खुलते वक्त चारों भाइयों के नाम बराबर हिस्से का नामांतकरण खोला गया। इस प्रकरण वादीगण तनकी संख्या–01 को साबित करने में असफल रहे है।

तनकी संख्या 02 आया वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है:– तनकी सं0 2 को भी सिद्व करने का भार वादीगण को दिया गया। वादीगण तनकी सं0 1 को सिद्व करने मे पूर्णतया असफल रहे है। हस्तगत प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि सहखातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अतः तनकी संख्या–02 वादीगण के विरूद्ध तय की जानी है।

तनकी संख्या 03 आया विवादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं0 1 का 1/20 हिस्सा है जो उसने प्रतिवादी संख्या 6 को बेचान कर कब्जा संभला दिया व खातेदार काश्तकार है:– तनकी सं0 3 को सिद्व करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 व 6 को दिया गया। मुताबिक प्रदर्श–03 जमाबंदी संवत 2052–57 वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या–01 हरिराम के नाम 1/20 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

दर्ज है, जिसका प्रतिवादी संख्या–01 द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.11.2024 को प्रतिवादी संख्या–06 को बेचान कर दिया। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरकरण संख्या 456 दिनांक 20.11.2024 के द्वारा भूमि के विधिवत क्रेता प्रतिवादी संख्या–06 रूड़मल पुत्र नून्दाराम के नाम स्वीकार किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादी सं0–01 वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड सहखातेदार थे एवं प्रतिवादी सं0–01 द्वारा अपने हिस्से की आराजी का बेचान प्रतिवादी सं0–06 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया गया। किसी भी सहखातेदार को उसके हिस्से की भूमि को विक्रय करने अथवा उसके उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। तत्पश्चात प्रतिवादी सं0–1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विक्रय प्रतिवादी सं0–06 को किया गया। वर्तमान जमाबंदी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0–06 रिकॉर्डेड सहखातेदार होना पूर्णतः साबित है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी सं0–06 तनकी संख्या 03 को साबित करने में पूर्णतः सफल रहे है। अतः तनकी संख्या–03 वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादी सं0–06 के पक्ष में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 को जरिये विरासत से प्राप्त हुई है। वादीगण ने अपने बयान मे स्पष्ट अंकन किया है कि विरासत के नामान्तकरण के समय बहिनों द्वारा अपना हक अपने भाईयों के नाम तस्दीक किये जाने पर कोई आपत्ति नही की थी। प्रतिवादी सं0 1 ने अपने नाम दर्ज हिस्से की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.11.2004 को प्रतिवादी सं0 6 को बेचान कर दिया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 (7) तहत हरिराम पुत्र रामबक्श की उक्त विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे प्राप्त समस्त शक्तियॉ स्वतः समाप्त होकर क्रेता रूडमल पुत्र नूंदाराम को प्राप्त हो गई है। उक्त विवादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादी सं0 6 वर्तमान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीगण अपने वाद को सिद्व करने मे पूर्णतया असफल रहे है। उपरोक्त तथ्यों को आलोक मे हम वादीगण को वाद खारिज किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद सिद्व न होने के आधार पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17/10/25 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सर्वेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

डिकी मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल
बइजलास :– सर्वेश शर्मा आर.ए.एस.

सुरज्ञान वगै0 बनाम हरिराम वगै0

वाद बाबत इस्तकरार हक, स्थायी निषेधाज्ञा
वाद सं0 205/2008पुराना व 05/2023 नया

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री लोकेश कुमार शर्मा व हाजरी वीरेन्द्र शेखावत, श्री लक्ष्मीकांत , श्री रामसिंह मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से साबित नहीं होने एवम् सारहीन होने के कारण खारिज किया जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। निज ....–....... मुबलिग.......–......... बाबत्.....–...... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.........–........ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक........–......का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 ..माह 10 सन् 2025 को जारी की गई।

(सर्वेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना अधिवक्ता	–	–
महन्ताना अधिवक्ता	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
मीजान			मीजान	–	–